यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल** के माह **01/2020** से माह **01/2021** तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री नित्यानन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री भारत सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अरुण कुमार शर्मा, स.ले.प.अ. (तदर्थ) द्वारा दिनांक **06.02.2021** से **15.02.2021** तक श्री आर.के.जोगी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में संपादित की गई।

<u>भाग-I</u>

1. परिचयात्मक:- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सन्तोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक **09.01.2020** से **16.01.2020** तक श्री राजबहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गई थी। जिसमें माह **04/2016** से **12/2019** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **01/2020** से **01/2021** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) <u>इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र</u>:- इकाई द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कार्य किए जाते हैं। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल जिले का नरेन्द्र नगर विकास खण्ड शामिल है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/ आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/ आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2018-19	6.31	503.91	543.17	530.70	18.77	2281.18	1954.63	830.45
2019-20	18.77	830.45	409.22	417.87	10.12	2150.45	2069.03	911.87
2020-21 (upto 01/2021)	10.12	911.87	362.89	368.01	5.01	89.54	621.45	379.96

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

योजना का नाम	2018-19			2019-20			2020-21 (Upto 01/2021)		
	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति	व्यय

NRDWP	1.19	320.76	131.35	190.59	443.07	476.70	156.96	0.00	156.96

(` लाख में)

(i) इकाई एक कार्यदायी संस्था है जिसके द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कार्य किए जाते हैं। इकाई को बजट का आवंटन भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को शामिल करते हुए इकाई **"ब"** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निमन्वत है:- **सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता (अध्यक्ष)→प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम→मुख्य अभियन्ता→ अधीक्षण अभियन्ता→ अधिशासी अभियन्ता ।**

(ii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में इकाई द्वारा एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना के माध्यम से पेयजल योजनाओं से संबन्धित कराये गये निर्माण कार्यों की जांच की गई। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2020** (व्यय) तथा **10/2020** (आय) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। एन.आर.डी.डब्लू.पी., नाबार्ड, जल जीवन मिशन तथा जिला योजना से संबन्धित निर्माण कार्यों का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 1 : जी.एस.टी. (GST) के रूप में ठेकेदार को ` 5.72 लाख का अधिक भुगतान किया जाना तथा कार्य का बीमा न करवाया जाना।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, बौराड़ी, नई टिहरी (टिहरी गढ़वाल) द्वारा **तपोवन (पुर्न.) पम्पिंग पे.यो. के अन्तर्गत ट्यूबवैल निर्माण, राईजिंग मेन एवं पाईप लाइन बिछाना, जलाशयों का निर्माण, पम्प हाउस एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण, पम्प आपूर्ति एवं अधिष्ठापन आदि कार्यों** हेतु दिनांक 13.04.2018 को निविदा आमंत्रित की गई थी। दिनांक 25.04.2018 को कार्यालय द्वारा संशोधित सूचना-द्वितीय के माध्यम से निविदा में आंशिक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि दरें जी.एस.टी. सहित मांगी गई हैं।

निविदा समिति की संस्तुति के आधार पर प्रबन्ध निदेशक द्वारा उक्त कार्य को `4,75,53,300/- की कुल लागत (जी.एस.टी. सहित) पर मै. सकलानन्द लखेड़ा, केरवान करनपुर, राजपुर रोड, देहरादून के द्वारा करवाए जाने हेतु दिनांक 13.08.2018 को अपनी स्वीकृती प्रदान की गई तथा उपरोक्तानुसार अधीक्षण अभियन्ता कार्यालय द्वारा पत्रांक संख्या 201/908/27 दिनांक 14.09.2018 के माध्यम से ठेकेदार के साथ अनुबन्ध (07/SE/2018-19) गठित कर कार्यादेश जारी कर दिया गया।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल के द्वारा सम्पादित कराये जा रहे उपरोक्त निर्माण कार्य के लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य हेतु जिन दरों के आधार पर भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किए गए थे वे दरें जी.एस.टी. सहित थीं। इकाई द्वारा भुगतान के समय 12% जी.एस.टी. के रूप में ठेकेदार को निम्नानुसार `**5,72,155/-** का अतिरिक्त रूप से अधिक भुगतान कर दिया गया:-

(रु में)

क्र.सं.	रनिंग बिल संख्या	भुगतान किए गए बिल की धनराशि	जी.एस.टी. सहित दरों के आधार पर बिल की धनराशि	12% जी.एस.टी. के रूप में भुगतान की गई अतिरिक्त धनराशि
01.	2nd RA Bill dated 23.01.19	2790118	2491177	298941
02.	3rd RA Bill dated 28.02.19	2549999	2276785	273214
	कुल	**5340117**	**4767962**	**572155**

आगे जांच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा केवल दिनांक 02.08.2019 से 01.11.2019 तक की अवधि हेतु ही उपरोक्त कार्य का बीमा करवाया गया था जबकि अनुबन्ध की Clause 13.1 के अनुसार ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर, कार्य शुरू होने से Defect Liability Period समाप्त होने तक प्रस्तर संख्या 13.1 में वर्णित मदों के सापेक्ष बीमा कराकर नियोक्ता को उपलब्ध कराया जाना था। अनुबन्ध की शर्त संख्या 13.3 के अनुसार यदि निर्धारित अवधि के भीतर ठेकेदार बीमा करवाकर पॉलिसी एवं प्रमाण

पत्र नियोक्ता को उपलब्ध नहीं करवाता है, तो उक्त बीमा नियोक्ता द्वारा स्वयं कराया जाये तथा भुगतान की गई प्रीमियम की धनराशि की ठेकेदार को किए जाने वाले भुगतान से कटौती कर ली जाये।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों को स्वीकारते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि लिपिकीय त्रुटिवश संबन्धित ठेकेदार को 12% GST के रूप में `5,72,155/- का अधिक भुगतान किया गया था। इकाई ने आगे बताया कि ठेकेदार के आगामी बिल से 12% GST के रूप में अधिक भुगतान की गई धनराशि `5,72,155/- की वसूली किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

कार्य का बीमा न करवाए जाने के सम्बंध में इकाई ने बताया कि त्रुटिवश बीमा नहीं करवाया जा सका था।

इकाई द्वारा आपत्ति को स्वीकार किया गया है।

अतः जी.एस.टी. (GST) के रूप में ठेकेदार को `5,72,155/- का अधिक भुगतान किए जाने तथा ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य का बीमा न करवाये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – II (ब)

प्रस्तर 2: पेयजल योजना के निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप 2010 परिवारों का स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से वंचित रहना तथा रुपये 62.88 लाख के राजस्व की हानि।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डबल्यू.पी.) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड नरेंद्रनगर की सूरजकुण्ड रानीताल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना हेतु रुपये 3246.84 लाख (सेंटेज के अतिरिक्त) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उत्तराखण्ड शासन द्वारा अगस्त 2012 में प्रदान की गयी थी।

उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 27 गावों के निवासियों[1] को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति से लाभान्वित किया जाना था। योजना के स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार, कार्य को 48 माह के भीतर पूर्ण किया जाना था तथा क्रियान्वयन के पश्चात योजना से लाभान्वित परिवारों से रुपये 15.72 लाख के राजस्व (जल मूल्य) की प्राप्ति वार्षिक रूप से की जानी थी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मुनि की रेती के अभिलेखों की लेखापरीक्षा (माह–02/2021) से ज्ञात हुआ था कि उक्त योजना के वितरण प्रणाली के कार्यों के सम्पादन हेतु विभाग द्वारा ठेकेदार "मैसर्स श्री गुरु एजेन्सीस, हल्द्वानी" के साथ रुपये 964.07 लाख का अनुबंध संख्या – 06/SE/2018-19 गठित किया गया था जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य पूर्ण करने की तिथि क्रमश: 15.09.2018 एवं 14.03.2020 थी। योजना के स्वीकृत प्राक्कलन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा उक्त योजना को वर्ष 2016 तक पूर्ण कर क्षेत्रवासियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि योजना को पूर्ण किए जाने की निर्धारित अवधि[2] बीतने के चार वर्ष पश्चात भी विभाग द्वारा उक्त योजना के कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका था। योजना के अंतर्गत लेखापरीक्षा तिथि तक 3588 के सापेक्ष केवल 1578 परिवारों को ही जल संयोजन उपलब्ध कराये जा सके थे तथा 2010 परिवारों को जल संयोजन उपलब्ध कराया जाना शेष था। योजना के स्वीकृत प्राक्कलन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य को समय से पूर्ण न किए जाने के कारण जहाँ एक ओर 2010 परिवार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति से वंचित थे वहीं दूसरी ओर जल मूल्य की वसूली के रूप में रुपये 62.88 लाख[3] के राजस्व की प्राप्ति नहीं की जा सकी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया कि वर्तमान तक उक्त योजना के अंतर्गत 1578 परिवारों को जल संयोजन उपलब्ध कराये जा चुके थे तथा शेष कार्य प्रगति में थे। यह भी कि पेयजल निगम द्वारा राजस्व की वसूली नहीं की जाती है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य कराये जा रहे है तथा तत्पश्चात राजस्व की वसूली संबन्धित शासनादेश के अनुसार की जानी प्रस्तावित है। विभाग का उत्तर स्वयं ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

---

[1] वर्ष 2015, 2030 एवं 2045 तक क्रमश: 3588, 4665 एवं 5389 परिवारों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित किया जाना था।

[2] 48 माह (वर्ष 2013 से 2016)

[3] राजस्व की हानि – 4 वर्ष (2017 से 2020) x रुपये 15.72 लाख/प्रतिवर्ष = 62.88 लाख

अत: पेयजल योजना के निर्माण में देरी के कारण 2010 परिवारों के स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से वंचित रहने तथा रुपये 62.88 लाख के राजस्व की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II-'ब'

प्रस्तर 3 : रॉयल्टी के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क एवं क्षतिपूर्ति की कटौती न करने के कारण शासन को `24,844/- के राजस्व की हानि तथा जिला खनिज फाउंडेशन न्यास अंशदान के रूप में काटी गई धनराशि `35,709/- को जिला खनिज न्यास के बैंक खाते में जमा कराने की बजाय राजकोष में जमा कराया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1998/VII-1/2018/80-ख/18 दिनांकित 14.02.2018 के द्वारा उपखनिजों की निकासी हेतु निम्नानुसार संशोधित दरों के अनुरूप शुल्क निर्धारित किए गए हैं:-

(i) रॉयल्टी
(ii) स्टाम्प शुल्क – रॉयल्टी का 2 प्रतिशत
(iii) जिला खनिज फाउंडेशन में अंशदान – रॉयल्टी का 25 प्रतिशत[4]
(iv) क्षतिपूर्ति – रॉयल्टी का 15 प्रतिशत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल के चयनित माह (03/2020) के वाऊचरों की जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्यों के सापेक्ष संबन्धित ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी एवं जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान के रूप में **`1,81,849/-** की निम्नानुसार कटौती की गई थी:-

(धनराशि ` में)

क्र.सं.	अनुबंध संख्या	बिल संख्या	भुगतान की तिथि	कटौती की गई धनराशि का विवरण		
				रॉयल्टी	जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान	कुल धनराशि
01.	06/EE/2019-20	1st RA Bill	03.03.20	20515	5129	25644
02.	10/AE/2019-20	2nd & Final Bill	04.03.20	3802	951	4753
03.	09/SE/2018-19	XVIIIth RA Bill	04.03.20	3924	981	4905
04.	09/SE/2018-19	17th RA Bill	04.03.20	3810	953	4763
05.	12/AE/2019-20	2nd RA Bill	06.03.20	3313	0	3313
06.	01/SE/2018-19	15th RA Bill	21.03.20	7385	1846	9231
07.	06/SE/2018-19	--	31.03.20	5720	1430	7150
08.	06/SE/2018-19	25th RA Bill	31.03.20	7689	1922	9611
09.	05/EE/2019-20	1st RA Bill	03.03.20	16847	4212	21059

[4] उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2)(5) के अनुसार

10.	04/EE/2019-20	1st RA Bill	03.03.20	11782	2946	14728
11.	07/EE/2019-20	2nd RA Bill	03.03.20	24852	6213	31065
12.	06/EE/2019-20	3rd RA Bill	06.03.20	16186	4047	20233
13.	04/EE/2019-20	2nd RA Bill	07.03.20	20315	5079	25394
			कुल	**1,46,140**	**35,709**	**1,81,849**

अभिलेखों की जांच में आगे पाया गया कि इकाई द्वारा सरकारी निर्माण कार्यों के सापेक्ष संबन्धित ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी एवं जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान की कटौती तो की गई थी परन्तु शासनादेशानुसार उपरोक्त रॉयल्टी पर 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क `2,923/- तथा 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति `21,921/-; इस प्रकार कुल `24,844/- की कटौती नहीं की गई थी जिसके कारण शासन को कुल `24,844/- के राजस्व की हानि हुई।

आगे जांच में पाया गया कि ठेकेदारों के बिलों से जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान के रूप में काटी गई धनराशि `35,709/- को जिला स्तर पर खोले गये बैंक खाते (Bank Name: State Bank of India, A/c Name: District Mineral Foundation Trust, Tehri Garhwal, A/c No: 37316098223) में जमा कराने की बजाय रॉयल्टी के साथ-साथ राजकोष के लेखाशीर्ष (0853) में जमा करा दिया गया जिसके कारण जिला खनिज न्यास को उक्त धनराशि प्राप्त नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त तालिका के क्रमांक 05 पर अंकित अनुबन्ध संख्या 12/AE/2019-20 के द्वितीय रनिंग बिल से `829/- के जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान की कटौती नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबन्धित शासनादेश उपलब्ध न होने के कारण उपरोक्त कटौतियाँ नहीं की जा सकीं थीं तथा संबन्धित ठेकेदारों के आगामी बिलों से उक्त धनराशि **`25,673/- (`24,844.00 + `829.00)** की कटौती कर राजकोष के संबन्धित लेखाशीर्ष/बैंक खाते में जमा करा दी जायेगी।

जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान की धनराशि को जिला खनिज न्यास के बैंक खाते में जमा कराने की बजाय राजकोष में जमा कराये जाने के जवाब में इकाई ने बताया कि ऐसा त्रुटिवश किया गया क्योंकि इकाई को जिला खनिज न्यास के बैंक खाते की जानकारी नहीं थी। इकाई ने आगे बताया कि जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान की धनराशि **`35,709/-** का ठेकेदारों के आगामी बिलों के सापेक्ष समायोजन कर लिया जाएगा।

अतः रॉयल्टी के सापेक्ष स्टाम्प शुल्क तथा क्षतिपूर्ति की कटौती कर राजकोष में जमा न किये जाने तथा जिला खनिज न्यास अंशदान की धनराशि को बैंक खाते की बजाय राजकोष में जमा कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तरः4- श्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण वेतन और भत्तों के रुप में `84585/- का अधिक भुगतान किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या-290/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 28 दिसम्बर 2016 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम 2016" के विन्दु संख्या 13 (01 जनवरी 2016 को अथवा उसके पश्चात प्रोन्नति पर वेतन का निर्धारण) के द्वारा वेतन का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाना चाहिएः

संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर (लेवल) से दूसरे स्तर (लेवल) में पदोन्नति अथवा सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन अथवा समयमान/चयन वेतनमान के मामले में, वेतन निर्धारण, एक वेतनवृद्धि उस स्तर (लेवल) में दी जायेगी जिसमें से कर्मचारी पदोन्नति किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के स्तर (लेवल) में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगी और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नही है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

श्री सुबोध प्रसाद (अपर सहायक अभियन्ता) की सेवापुस्तिका की जांच में पाया गया कि इनकी पदोन्नति कनिष्ठ अभियन्ता से अपर सहायक अभियन्ता के पद पर दिनांक 11/04/2017 को लेवल-07 से लेवल-08 में हुआ।

सेवापुस्तिका की जांच में पाया गया कि 11/04/2017 को पदोन्नति पर लेवल-07 (` 50500.00) में एक वेतन वृद्धि देकर ` 52000.00 पर किया गया। पुनः लेवल -08 में ले जाते हुए एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि देकर ` 53600.00 किया गया। जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार लेवल-07 में एक वेतन वृद्धि दिया जाना था। पुनः लेवल-07 में वेतन वृद्धि देने पर प्राप्त राशि के समतुल्य राशि की कोष्ठिका जो लेवल-08 में मौजूद है, पर रखना था अथवा समतुल्य न होने पर लेवल-08 में ही अगली कोष्ठिका में रखना था। जबकि लेवल-07 में एक वेतन वृद्धि देने पर ` 52000.00 आता है जो लेवल-08 में मौजूद है। अतः 11/04/2017 को लेवल-08 में

निर्धारित वेतन ` 52000.00 न देकर ` 53600.00 किया गया जो एक वेतन वृद्धि अधिक है जिसके परिणाम स्वरुप वेतन एवं भत्तों के रुप में `**84585/-** का अधिक भुगतान हुआ है।

प्रकरण को इंगित करने पर शाखा द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि प्रकरण की जांच कर अधिक भुगतान हुए वेतन एवं भत्तों की वसूली कर ली जायेगी एवं वेतन वृद्धि को सही कर लिया जायेगा।

अतः वेतन एवं भत्तों के रुप में `**84585/-** का अधिक भुगतान उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तरः5- अंशदायी पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा रु. 273794/- का कम अंशदान किया जाना ।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 21/XXVII(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.2005 द्वारा राज्य सरकार की सेवा में और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य सरकार की पुरानी पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू थी, में 01.10.2005 से समस्त नई भर्तियों पर नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू की गई है।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 41 दिनांक 31.01.2019 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कर्मचारी का मासिक अंशदान उसके वेतन और महगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा और केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान दिनांक 01 अप्रैल 2019 से वेतन और महगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा।

उक्त के तर्ज पर उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 169/42/XXVII(10)/2018/2019 के बिन्दु संख्या-4 द्वारा निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 31.012019 में की गयी व्यवस्था के क्रम में राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि एन0पी0एस0 के अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा पूर्ववत वेतन और महगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा तथा दिनांक 01 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार अथवा संबंधित स्वायत्तशासी संस्था/ निजी शिक्षण संस्था द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते के 14 प्रतिशत के बराबर नियोक्ता का अंशदान किया जायेगा।

इकाई में नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कर्मचारियों के अंशदान तथा नियोक्ता द्वारा दिये गए अंशदान से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को नियोक्ता अंशदान के रूप में निम्नानुसार रु. **273794/-** (अप्रैल-19 से दिसम्बर-20 तक) कम धनराशि उनके PRAN के सापेक्ष जमा करायी गई है:-

(रु में)

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पदनाम	नियोक्ता का अंशदान		
		जो दिया जाना था (@14%)	जो दिया गया (@10%)	अन्तर
1.	श्री मोहित जैन (अ0सहा0अभि0)	216990	154993	61997
2.	श्री दिनेश दवांण (अ0सहा0अभि0)	228292	163066	65226
3.	श्री सुबोध प्रसाद (अ0सहा0अभि0)	192059	137185	54874
4.	श्री हरिश चन्द्र रावत (कनिष्ठ सहायक)	93506	66790	26716
5.	श्री रविन्द्र सिंह (वर्क एजेन्ट)	66478	47484	18994
6.	श्री साब सिंह (चौकीदार)	86273	61624	24649
7.	श्रीमती कमली देवी (चौकीदार)	74683	53345	21338
	कुल	**958281**	**684487**	**273794**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2020 तक 14 प्रतिशत का अंशदान न देकर 10 प्रतिशत ही दिया जा रहा है जिससे कर्मचारियों को संस्था से मिलने वाले 4 प्रतिशत के अतिरिक्त अंशदान एवं उस पर देय लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है।

प्रकरण को इंगित किये जाने पर शाखा द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि इस संबंध में मुख्यालय से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए है, दिशा निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही कर ली जायेगी।

शाखा का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड शासन द्वारा 12 जून 2019 में ही दिशा निर्देश जारी किये जा चुके है कि नियोक्ता द्वारा अप्रैल 2019 से 14 प्रतिशत का अंशदान किया जायेगा।

अतः अधिकारियों/कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना में नियोक्ता द्वारा रु. **273794/-** का कम अंशदान किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत है:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब ' प्रस्तर संख्या
37/2004-05	शून्य	01, 02
12/2006-07	01,02	01,02,03
13/2007-08	-	01
15/2011-12	शून्य	01,02,03
56/2014-15	शून्य	01
67/2016-17	शून्य	02, 03
233/2019-20	शून्य	01,02,03

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके कारण उपरोक्त समस्त प्रस्तरों को यथावत रखे जाने की संस्तुति की जाती है।				

भाग – IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग – V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

(i)
(ii) } **शून्य**

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	ई. एस.एन. सिंह	अधिशासी अभियन्ता	20.09.2019 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल** को पत्रांक संख्या AMG-II (Non-PSUs)/ले.प./न.ले.प.टि./दल सं.-05/2020-21/19 दिनांकित 16.02.2021 के द्वारा इस आशय से प्रेषित कर दी गई है कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप-महालेखाकार/AMG-II (Non-PSUs), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, द्वितीय तल, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, आई.पी.ई., देहरादून -248195** को प्रेषित कर दी जाये।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)